असाधारण सामान्य बैठक हेतु
नोटिस का परिशिष्ट
शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2018

Addendum to the Notice for Extraordinary General Meeting
Friday, February 16, 2018

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)

(**Head Office :** 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(**प्रधान कार्यालय**: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)

दिनांक 16 फरवरी, 2018 को बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन से संबंधित दिनांक 17 जनवरी, 2018 के ईजीएम नोटिस का परिशिष्ट

सभी सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

17 जनवरी, 2018 को बैंक की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) की नोटिस के अनुक्रम में बैंक में 16 फरवरी, 2018 को सुबह 10.30 में अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 में असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसकी सूचना पहले ही बैंक के सदस्यों को दी गई है.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यसूची मद क्र. 3 के अनुसार व्यवसाय के निम्नलिखित मद को भी आगामी ईजीएम में संचालित किया जाएगा.

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक को एक पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2018 क्र. एफ. क्र. 7/38/2014 बीओए जारी कर पूर्व में निर्दिष्ट रू. 650 करोड़ की राशि सहित अधिमानी ईक्विटी पूंजी के रूप में रू. 3173 करोड़ (रूपये तीन हजार एक सौ तिहत्तर करोड़ मात्र) देने के अपने आशय की जानकारी दी है. तदनुसार, 31 जनवरी, 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में, बैंक के निदेशकों ने असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन की सूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यसूची मद क्र. 3 को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है.

कार्यसूची मद क्र. 3 : अधिमानी आधार पर बैंक के भारत सरकार (प्रवर्तक) को ईक्विटी शेयर जारी करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

''प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**''दी एक्ट''**), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (**''द स्कीम''**) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (**''द रेग्यूलेशन''**), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (**''आरबीआई''**), भारत सरकार (**''जीओआई''**), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (**''सेबी''**) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम **2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम)**, समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद् द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो ''सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार **(जीओआई)** को अधिमान आधार पर ₹10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹ 2523/- करोड़ (रूपये दो हजार पांच सौ तेईस मात्र) के 96,88,94,009 ईक्विटी शेयरों को रु 26.04 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा.

प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक **17 जनवरी, 2018** है.

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा.

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे.

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद् द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/कों/निदेशकों या बैंक के ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित ईजीएम नोटिस की एजेन्डा मद क्रमांक 2 को हटाना:

अपने दिनांक 24 जनवरी, 2018 के पत्र क्र. एफ. क्र. 7/38/2014 बीओए द्वारा सूचित किए अनुसार बैंक में रू. 3173 करोड़ (पूर्व की रू. 650 करोड़ की पूंजी लगाना सहित) की भारत सरकार की पूंजी लगाने की योजना के अनुसरण में. बैंक में (असाधारण सामान्य बैठक नोटिस के एजेंडा मद क्र. 1 में उल्लेख किए अनुसार रू. 650 करोड़ के पूर्व पूंजी लगाना सहित) रू. 3173 करोड़ कुल पूंजी लगाने के प्रति भारत सरकार को बैंक के प्रत्येक रू. 10/- के कुल 121,85,09,984 ईक्विटी शेयर के प्रस्तावित आबंटन पर बैंक में भारत सरकार की धारिता 75.54% से बढ़ कर 87.01% हो जाएगी.

आबंटन के बाद, बैंक में पब्लिक की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के 16% से कम हो जाएगी, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अभिग्रहण) अधिनियम, 1970 के अनुभाग 9(3)(i) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा चयनित सिर्फ एक शेयरधारक का हकदार होगा. वर्तमान में बैंक के निदेशक मंडल पर पहले ही एक शेयरधारक निदेशक अर्थात श्री आर. थामोधरण हैं तथा इस प्रकार बैंक के निदेशक मंडल पर अन्य शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं होगा.

तदानुसार, बैंक के निदेशक मंडल की 31 जनवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, दिनांक 17 जनवरी, 2018 की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) नोटिस में उल्लिखित अनुसार कार्यसूची की मद क्र.2 वापस लेना अनुमोदित किया है. इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

स्थान : पुणे
दिनांक : 01 फरवरी, 2018

(आर. पी. मराठे)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. **व्याख्यात्मक विवरण:**
   उपर्युक्त कार्यसूची की मदों के संबंध में भौतिक तथ्यों के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
2. असाधारण सामान्य बैठक की नोटिस का परिशिष्ट ईजीएम की नोटिस के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है.
3. असाधारण सामान्य बैठक नोटिस का परिशिष्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जा रहा है, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कोई सदस्य इसकी भौतिक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध न करें. जिन सदस्यों ने उनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें अनुमत्य साधन के जरिए भौतिक प्रति भेजी जा रही है.
4. दिनांक 17 जनवरी, 2018 की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) नोटिस में ई-वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश सम्मिलित किए गए हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. दिनांक 17 जनवरी, 2018 की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) नोटिस तथा दिनांक 01 फरवरी, 2018 नोटिस के परिशिष्ट दोनो ही सदस्यों को यूआरएल : https://www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी.

व्याख्यात्मक विवरण:

कार्यसूची मद क्र. 3:

सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के अनुसार आवश्यक प्रकटन

नोटिस के कार्यसूची मद क्र.1 में किए गए प्रकटन के अलावा, कार्यसूची मद क्र. 3 के अंतर्गत भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का आबंटन निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगा.

दिनांक 24 जनवरी, 2018 के पत्र क्र. एफक्र.7/38/2014-बीओए (जीओआई पत्र) के जरिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को रू.3173 करोड़ तक (दिसंबर 2017 में लगाए गए रू.650 करोड़ सहित) पूंजीगत निधियां लगाने का उनका निर्णय सूचित किया गया है. 31 जनवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार के प्रीमियम सहित रू.3173 करोड़ तक इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है. उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार तथा बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा.

उक्त पत्र के अनुसार बैंक को रिस्पांसिव और जिम्मेदार पीएसबी हेतु सुधार ऐजेंडा की वचनबद्धता देनी होगी जिसका लक्ष्य संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) है जिसके अंतर्गत ग्राहक प्रतिसाद उत्तरदायी बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ-टेक, उद्यमी-मित्र (एमएसएमई को लक्ष्यित) के रूप में पीएसबी, वित्तीय समावेशन को सघन करना और डिजिटाईजेशन तथा पीएसबी ब्रांड के लिए कार्मिकों के विकास द्वारा परिणाम (एचआर) सुनिश्चित करने का समावेश है. साथ ही बैंक को 31 मार्च, 2017 तथा 30 सितंबर 2017 से कम के स्तर पर आरडब्ल्यूए बनाए रखने के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वचनबद्धता निष्पादित करनी होगी जिससे भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों को कॉमन इक्विटी जारी करने द्वारा इक्विटी पूंजी में वृद्धि, रणनितिक इक्विटी निवेशों का मुद्रीकरण, बैंक के परिचालन के लिए अनावश्यक रियल इस्टेट की बिक्री, गैर-मूल परिसंपत्तियों में नए निवेश नहीं करना, भारत सरकार के अनुमोदन के बिना लाभांश वितरित नहीं करना, अपने शेयरों को पुनर्खरीद नहीं करना, ओवर्सिज परिचालनों को तर्कसंगत बनाना और पीएसबी के बीच तथा बैंक के भीतर शाखाओं का कन्सोलिडेट करना तथा डिफ्रेंशिएटेड बैंकिंग रणनीति अपनाना समाहित है.

इस संकल्प के अंतर्गत शयरों के आबंटन के पश्चात बैंक की शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार होगा.

प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप :

क्रम संख्या	विवरण	निर्गम से पूर्व		निर्गम के पश्चात	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क	प्रवर्तकों की धारिता (जीओआई)	1042413449	75.54	2260923433*	87.01*
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	337530974	24.46	337530974	12.99
	कुल	**1379944423**	**100.00**	**2598454407**	**100.00**

*** बैंक की निर्गम पश्चात शेयरधारिता स्वरूप की गणना ईजीएम नोटिस के कार्यसूची के मद क्र.1 तथा 3 में दर्शाए अनुसार रू.3173 करोड़ की कुल पूंजी लगाने के आधार पर की गई है.**

चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को उपलब्ध किया गया है, जो कि बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, अत: बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा.

भारत सरकार की निर्गम पूर्व एवं पश्चात की शेयरधारिता निम्नानुसार रहेगी :

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पूर्व	1042413449	75.54
निर्गम के पश्चात	2260923433*	87.01*

*** बैंक में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की निर्गम पश्चात शेयरधारिता स्वरूप की गणना ईजीएम नोटिस के कार्यसूची के मद क्र. 1 तथा 3 में दर्शाए अनुसार रू.3173 करोड़ की कुल पूंजी लगाने के आधार पर की गई है.**

बैंक भारत सरकार की ओर से द्वारा सेबी से (शेयरों के पर्याप्त अभिग्रहण और अधिग्रहणों) विनियम, 2011 के विनियम 3(2) (अधिग्रहण विनियम) के अनुपालन की आवश्यकता से छूट की मांग की जाएगी तथा सभी अपेक्षित अनुमोदन की प्राप्ति के बाद ही शेयरों का आबंटन करेगी।

नोटिस में उल्लिखित अनुसार, निदेशक मंडल विशेष संकल्प पारित करने की अनुशंसा करता है।

बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति उपरोक्त उल्लिखित संकल्पों में रूचि या संबंध नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. पी. मराठे)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 01 फरवरी, 2018
स्थान : पुणे

BANK OF MAHARASHTRA

(Head office: Lokmangal, 1501, Shivajinagr, Pune 411005)

Addendum to the EGM Notice dated 17th January, 2018 convening the Extraordinary General Meeting of the Bank on 16th February, 2018

To the Members,

Bank of Maharashtra

In continuation to the Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) of Bank dated 17th January 2018, convening an Extraordinary General Meeting of the Bank on Friday, 16th February, 2018 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, which is being already sent to members of the Bank.

Notice is hereby given that the following item of business as Agenda Item No.3 will also be transacted at the ensuing EGM.

Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services had issued a letter F.No.7/38/2014 BOA dated 24th January, 2018 to Bank intimating their intention to infuse Rs.3173 crore (Rupees Three Thousand One Hundred and Seventy Three crore only) as preferential equity capital including the amount of Rs.650 crore as indicated earlier. Accordingly, at the Board Meeting held on 31st January, 2018, the Board of Directors of Bank have decided to include the following additional agenda Item No.3 to the Notice convening the EGM.

Agenda Item No.3: Issue of Equity Shares to Government of India (Promoter) of Bank on Preferential Basis:

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **("The Act")**, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **("The Scheme")** and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 **("The Regulations")**, as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI")**, Government of India **("GOI")**, Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(SEBI ICDR Regulations)** as amended from time to time, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 96,88,94,009 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of Rs.26.04 per share (including premium) as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating Rs.2523 Crore (Rupees Two Thousand Five Hundred and Twenty Three crore only) on Preferential basis to Government of India **("GOI")**.

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **17th January, 2018.**

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Director/s or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Withdrawal of Agenda Item No.2 of the EGM Notice pertaining to Election of One Shareholder Director:

Consequent to capital infusion plan of Government of India to the tune of Rs.3173 crore (including earlier capital infusion of Rs.650 crore) in Bank as intimated vide its letter F.No.7/38/2014 BOA dated 24th January, 2018. Upon proposed allotment of total 121,85,09,984 equity shares of Rs.10/- each of Bank to Government of India against the total Capital infusion of Rs.3173 crore in Bank (including earlier capital infusion of Rs.650 crore as mentioned in Agenda Item No.1 of EGM notice), the holding of Government of India in Bank will stand increased from 75.54% to 87.01%.

Post allotment, the Public Shareholding in the Bank will be less than 16% of the total paid up capital of the Bank, which will entitle Bank to have only one Director to be elected by the Shareholders other than Central Government, from amongst themselves in terms of provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Presently, Bank is already having one Shareholder Director i.e. Shri R. Thamodharan on the Board of Bank and thus there will be no vacancy for appointment of another Shareholder Director on the Board of the Bank.

Accordingly, the Board of Directors of Bank at its Meeting held on 31st January, 2018 have approved the withdrawal of Agenda Item no. 2 as mentioned in the EGM Notice dated 17th January, 2018. Thus, the election process stands cancelled forthwith.

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**

Place: Pune
Date: 01st February, 2018

(R.P. Marathe)
Managing Director & CEO

NOTES:

1. **Explanatory Statement:**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of above agenda item is annexed hereto.

2. This Addendum to the Notice of EGM is available along with the Notice of EGM on the website of the Bank i.e. www.bankofmaharashtra.in

3. Addendum to Notice of the Extraordinary General Meeting is being sent by electronic mode to those members, whose e-mail ids are registered with the Depositories, unless any member has requested for a physical copy of the same. For members who have not registered their email ids, physical copies are being sent by the permitted mode.

4. Detailed instructions for e-voting has been included in the EGM Notice dated 17th January, 2018 and there will not be any change in the same. Both the EGM Notice dated 17th January, 2018 and Addendum dated 01st February, 2018 to the EGM Notice will be made available to the members in the URL: https://www.evotingindia.com

Explanatory Statement:

Agenda Item No.3:

DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

In addition to the disclosures made in Agenda Item No.1 of the Notice, the allotment of equity shares to GOI under agenda Item No. 3 shall be subject to the following additional conditions.

Government of India vide Letter No. F. No. 7/38/2014-BOA dated 24th January, 2018 (GOI Letter) has intimated their decision to infuse Capital Funds during the Financial Year 2017-18 into the Bank to the tune of Rs.3173 Crore (including Rs.650 crore infused in December 2017) by way of Preferential allotment of Equity Shares in favour of Government of India. The Board of Directors, in its meeting held on 31st January, 2018 has approved the proposal of issuing equity shares aggregating upto Rs.3173 Crore including premium to Government of India on preferential basis. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the Bank's business growth.

In terms of the aforesaid letter, the Bank shall be required to commit to reforms agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) covering customer responsiveness, responsible banking, credit off-take, PSBs as Udyamimitra (aimed at MSME), deepening financial inclusion and digitization and ensuring outcome (HR) by developing personnel for Brand PSB. Further, the Bank shall be required to execute the Board approved undertaking in terms of maintaining RWA at the levels of lower of the March 31, 2017 and September 30, 2017, raising equity capital by issuance of common equity to investors other than Government of India, monetizing strategic equity investments, selling real estates not required for the Bank's operations, not making fresh investment in non-core assets, not distributing dividends without the GoI approval, not buying back its shares, rationalizing overseas operations and consolidating branches within the Bank and across PSBs and adopting differentiated banking strategy.

The Shareholding Pattern of the Bank after allotment of shares under this Resolution will be as under:

Shareholding Pattern before and after the proposed preferential issue:

Sr. No.	Particulars	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Equity Shares held	% Share holding	No. of Equity Shares held	% Share holding
A	**Promoter Holding (GOI)**	1042413449	75.54	2260923433*	87.01*
B	**Non Promoter Holding**	337530974	24.46	337530974	12.99
	Total	**1379944423**	**100.00**	**2598454407**	**100.00**

Post issue shareholding pattern of Bank is calculated on the basis of total capital infusion of Rs.3173 crore as indicated in Agenda Item No.1 and 3 of the EGM Notice.

As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in the management/ control of the Bank.

The Pre and Post Issue shareholding of Government of India (GOI) will be as under:-

Particulars	Number of shares held	Percentage to Capital
Pre Issue	1042413449	75.54
Post Issue	2260923433*	87.01*

Post issue shareholding pattern of GOI (President of India) in Bank is calculated on the basis of total capital infusion of Rs.3173 crore as indicated in Agenda Item No.1 and 3 of the EGM Notice.

The Bank on behalf of GOI will be seeking exemption from SEBI from complying with the requirements of Regulation 3(2) of the (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") and allotment of shares would be made only after all the requisite approvals are obtained.

The Board of Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of Board of Directors

Date: 01st February, 2018
Place: Pune

(R.P. Marathe)
Managing Director and CEO

असाधारण सामान्य बैठक स्थल पर पहुंचने हेतु रोड- मैप
Route Map to Reach Venue of Extraordinary General Meeting

स्थल: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

Location: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक